कार्यालय:: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3/यू0जी0–2024/2390

लखनऊ दिनांक 17/10/2024

यू0पी0 नीट यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0)–2024 के अन्तर्गत तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउन्सिलिंग से आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध मेंआवश्यक दिशा–निर्देश।

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया **दिनांक 19 अक्टूबर, 21 से 23 अक्टूबर 2024** के मध्य पूर्ण की जायेगी।
- राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित/पुरानवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया आवंटित राजकीय/ स्वशासी मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्ण की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो में आवंटन/पुनरावंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी।
- आवंटन पत्र पर प्रवेश हेतु कालेज/नोडल सेन्टर के नाम अंकित होंगे।
- सभी आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराये जाने के उपरान्त ही प्रवेश प्रकिया पूर्ण की जायेगी।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नीट यू0जी0–2024 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से सीट आवंटित हुई हो तथा प्रवेश प्रकिया भी पूर्ण कर ली गयी हो तदोपरान्त तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में पूर्व में प्रवेशित कालेज/सीट की च्वाईस फिल कर दी गयी है और उन्हें दिनांक 18.10.2024 द्वारा घोषित परिणाम में पुनः उसी सीट पर आवंटन प्राप्त हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पुनः सम्बन्धित कालेज/नामित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करना अनिवार्य हैं। अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।**
- प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूलरूप में जमा किया जाना अनिवार्य है :–
  - ➢ यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 का आवंटन पत्र
  - ➢ नीट यू0जी0 2024 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड
  - ➢ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र
  - ➢ आरक्षण से संबंधित (श्रेणी/उपश्रेणी) प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
  - ➢ डोमिसाइल प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
  - ➢ पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट)
- **उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (*EWS*) अन्य पिछड़ा वर्ग (*OBC*) का जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 अथवा इसके पश्चात् का बना ही मान्य होगा।**
- **भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।

- दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी, Director General of Health Services (DGHS) Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

- शैक्षणिक सत्र 2024–25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल/डेण्टल कालेजों के फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट https:upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।

- **रिट याचिका संख्या–6828/2024 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल एण्ड एलाईड साइन्सेज कालेज वेलफेयर एसोसियएशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2024 के कम में** निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल/डेण्टल कालेजों की शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु *निर्धारित शिक्षण शुल्क सत्र 2024–25 में प्रवेश के समय* Provisional *रूप से देय होगा। संबंधित शासनादेश संख्या– I/360946/2023 दिनांक 02.8.2023 विभागीय वेबसाइट **https:upneet.gov.in** एवं **www.dgme.up.gov.in** पर उपलब्ध है।(छायाप्रति संलग्न)*

  तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3/2024/1667 दिनांक 17.8.2024 (*छायाप्रति संलग्न)* **के द्वारा निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल/डेन्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण के संबंध में अति महत्वपूर्ण सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। अतएव मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल/डेण्टल कालेजो के शैक्षणिक सत्र 2024–25 का शुल्क शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले अन्तिम आदेशो के अधीन होगा।**

- *निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का <u>सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट</u> जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, **(Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow)** के पक्ष में निर्गत किया गया हो, नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।*

- निजी क्षेत्र के कालेजों हेतु तृतीय चक्र में पुनरावंटन के पश्चात् यदि आवंटित कालेज का शिक्षण शुल्क प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित कालेज से कम होता हैं, तो अधिक जमा किये गये शिक्षण शुल्क की धनराशि आवंटित कालेज को प्रेषित कर दी जायेगी, जो कालेज द्वारा कालेज की हास्टल/सिक्योरिटी शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि(Difference Amount) का बैंक ड्राफ्ट प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा कराना होगा।

- **राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश संख्या–आई/700717/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 में निहित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।**

- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट **<u>www.dgme.up.gov.in</u>** तथा **<u>www.upneet.gov.in</u>** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।

संख्या:एम0ई0–3 (सी0...